कृषि विभाग

दिनांक 18 जुलाई, 2012

संख्या 594/कृषि अनुभाग(1)2012/9005.—पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भूतपूर्व पंजाब सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 11475-कृषि-I(v)-63/195, दिनांक 10 जनवरी, 1964 में निम्नलिखित संशोधिन करते हैं, अर्थात् :--

संशोधन

भूतपूर्व पंजाब सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 11475-कृषि-I(v)-63/195, दिनांक 10 जनवरी, 1964, में अनुसूची में खाना 1, 2, 3 और 4 के नीचे क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :--

अनुसूची

क्रम संख्या	मुख्य मण्डी प्रांगण का परिक्षेत्र	उप मण्डी परिक्षेत्र	अधिसूचित मण्ड़ी क्षेत्र
1	2	3	4
"2.	नई अनाज मण्डी, डिंग निम्नलिखित सीमाओं सहित:--	उप मण्डी प्रांगण सुचान कोटली निम्नलिखित सीमाओं सहित:--	डिंग"
	पूर्व: जय सिंह का मकान तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 30/47	पूर्व : विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरजभान पुत्र सुखीराम की कृषि भूमि, खसरा नम्बर 66//7/2-24	
	पश्चिम : डिंग गांव से डिंग मुख्य सड़क	पश्चिम : ग्राम पंचायत भूमि, मौके पर राजकीय प्राथमिक कन्या स्कूल, खसरा नम्बर 66/21	
	उत्तर : भूप सिंह का मकान तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 31	उत्तर : श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री रामभज पुत्र श्री पेड़ाराम की कृषि भूमि, खसरा नम्बर 66/18-19	
	दक्षिण : डिंग गांव से बोदीवाली सड़क	दक्षिण : ग्राम पंचायत भूमि मौके पर आबादी, खसरा नम्बर 117/2/2	

रोशन लाल,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

कृषि विभाग, चण्डीगढ़।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 18th July, 2012

No. 594-Ari.Sec. (1)-2012/9005.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 7 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the erstwhile Punjab Government, Agriculture Department, Notification No. 1 1475-Agri. I(V)-63/195, dated the 10th January, 1964, namely:—

Amendment

In the erstwhile Punjab Government, Agriculture Department, Notification No. 11475-Agri.-I(V)-63/195,

dated the 10th January, 1964, in the Schedule, under Columns 1,2,3 and 4, for the existing serial number 2 and entries their against, the following serial number and entries their against shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Sr. No.	Locality of the Principal Market Yard	Locality of Sub-Market Yard	Notified Market Area
1	2	3	4
"2.	NEW GRAIN MARKET, DING WITH BOUNDARIES AS UNDER:—	SUB MARKET YARD SUCHAN KOTLI WITH BOUNDRIES AS UNDER:—	DING"
	East : House of Jai Singh and Agriculture Land, Khasra Number 30/47.	East : Agriculture Land of Sh. Vijender Singh s/o Sh. Suraj Bhan s/o Sh. Sukhi Ram, Khasra Number 66//07/2-24.	
	West: Road from Ding Village to Ding Moar.	West: Grain Panchayat Land as on date Government Primary Girls School, Khasra No.66/21.	
	North: House of Bhoop Singh and Agriculture Land Khasra Number 31	North : Agriculture Land of Smt. Ram Pyari wlo Sh. Ram Bhaj s/o Sh. Peda Ram, Khasra Number 66/18-19.	
	South: Road from Ding Village to Bodiwali.	South: Gram Panchayat Land, as on date population, Khasra Number 117//2/2.	

ROSHAN LAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Agriculture Depertment.

कृषि विभाग

दिनांक 18 जुलाई, 2012

संख्या 682/कृषि अनुभाग(1)2012/9008.—पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्रों को उसके खाना 2 में विनिर्दिष्ट अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को मुख्य मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करते हैं :--

अनुसूची

		मुख्य मण्ड़ी प्रांगण का परिक्षेत्र	अधिसूचित मण्डी क्षेत्र
नई सब्जी मण्डी, सांपला की सीमाएं निम्न प्रकार है:—			
पूर्व	:	नई अनाज मण्ड़ी, सांपला	सांपला
पश्चिम	:	प्राईवेट दुकान/प्लाट	
उत्तर	:	नेशनल हाईवे-10 (पुराना रोड)	
दक्षिण	:	प्राईवेट रिहायशी कालोनी	

रोशन लाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग ।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 18th July, 2012

No. 682/AS-(1)/2012/9008.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 7 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby declares the localities specified in column 1 of the Schedule given below, to be the Principal market yard of the notified market area specified in column 2 thereof :—

SCHEDULE

LOCALITIES OF PRINCIPAL MARKET YARD			NOTIFIED MARKET AREA
1			2
BOUNDARIES OF NEW VEGETABLE MARKET SAMPLA AS UNDER			
East	:	New Grain Market, Sampla	Sampla
West	:	Private Shops/Plots	
North	:	N.H. 10 (Old Road)	
South	:	Private Residential Colony	

ROSHAN LAL,

Principal Secretary to Government
Haryana, Agriculture Department.

कृषि विभाग

दिनांक 18 जुलाई, 2012

संख्या 681/कृषि अनुभाग(1)2012/9014.—पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम, 23), की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्रों को उसके खाना 2 में विनिर्दिष्ट अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को मुख्य मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करते हैं :–

अनुसूची

मुख्य मण्डी प्रांगण का परिक्षेत्र			अधिसूचित मण्डी क्षेत्र
नई अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी, तथा कपास मण्ड़ी की सीमाएं ।			
पूर्व	:	नई अनाज मण्डी की दीवार जो कि करसोला माईनर (रजवाहे) से राजकीय महाविद्यालय, जुलाना तक है तथा यह करसोला रोड़ और राधा स्वामी सत्संग भवन (दिनोद) के साथ लगती हुई है।	
पश्चिम	:	नई अनाज मण्ड़ी की दीवार जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 71 (अब 352) जीन्द रोहतक रोड़ के साथ लगती हुई है।	
उत्तर	:	नई अनाज मण्डी की दीवार जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 71 (अब 352) से लेकर करसोला माईनर (रजवाहे) से शुरु होती है तथा कृषि भूमि के साथ लगती हैं। भूमि मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 16 मालिकान हंसराज, रामबीर, सतबीर, सतपाल पुत्र श्री रामसिंह तथा रामसरूप पुत्र श्री श्योचन्द के नाम से है।	
दक्षिण	:	नई अनाज मण्डी की दीवार जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 71 (अब 352) से लेकर करसोला रोड़ से शुरु होती है तथा कृषि भूमि के साथ लगती है। भूमि मुरब्बा नम्बर 78 किला नं० 3, 4 मालिकान सतबीर दलबीर पुत्र बलवंत तथा संतोष पत्नी ईश्वर तथा बलजीत, रणजीत पुत्र श्री ईश्वर के नाम से है।	

रोशन लाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 18th July, 2012

No. 681/AS-(1)/2012/9014.—In exercise of the powers conferred by Sub- section (2) of Section 7 of the Punjab Agricultural produce Market Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby declares the localities specified in column 1 of the Schedule given below, to be the Principal market yard of the notified market area specified in column 2 thereof :—

SCHEDULE

LOCALITIES OF PRINCIPAL MARKET YARD	NOTIFIED MARKET AREA
1	2
BOUNDARIES OF NEW GRAIN MARKET, VEGETABLE MARKET AND COTTON MARKET	JULANA
East :— The wall of New Grain Market which from Karsola Minor (Rajwaha) to Government College, Julana and it is connected from Karsola road and Radha Swami Satsang Bhawan (Dinaud)	
West:— The wall of New Grain Market is connected with National Highway No. 71 (Now 352), Jind- Rohtak Road.	
North :— The wan of New Grain Market which is started from National Highway No. 71 (Now 352) to Karsola Minor (Rajwaha) and also adjoing with agricultural land of farmers names by :- Hansraj, Rambir, Satbir, Satpal S/o Sh. Ram Singh and Ram Surap S/o Sh. Sheochand, Murbba No. 48 Killa No. 16.	
South :— The wall of New Grain Market which is started from National Highway No. 71 (Now 352) to Karsola Road and also adjoining with agricultural land of farmers named by :- Satbir, Dalbir S/o Sh. Balwant and Santosh W/o Ishwer and Baljeet, Ranjeet S/o Ishwer, Murbba No. 78 Killa No. 3,4.	

ROSHAN LAL,
Principal Secretary to Government
Haryana, Agriculture Department.

कृषि विभाग

दिनांक 18 जुलाई, 2012

संख्या 701/कृषि अनुभाग-(1)2012/9017.—पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम, 23), की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट घरौन्ड़ा के मण्ड़ी क्षेत्र से तथा उक्त अनुसूची के खाना 3 में वर्णित क्षेत्र को निकालने हुए, तथा अनुसूची के खाना नम्बर 2 में विनिर्दिष्ट पानीपत के मण्ड़ी क्षेत्र में उक्त को शामिल करते हुए, उक्त अनुसूची के क्रमश: खाना 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट घरौन्डा और पानीपत अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों की सीमाएं बदलने के अपने आशय की घोषणा करते हैं।

इसलिए, अब, जनसाधारण तथा विशेष रूप से उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, को आमंत्रित करने के लिए,

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है। ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा।

अनुसूची

मण्डी समिति क्षेत्र जिससे क्षेत्र निकाला जाना है	मण्डी समिति क्षेत्र जिसमें क्षेत्र शामिल किया जाना है।	क्षेत्र जो घरोन्डा के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाना है और पानीपत के मण्डी समिति अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाना है।			
		गांव का नाम	हदबस्त नं०	तहसील	जिला
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
घरौन्डा	पानीपत	पलहेड़ी	40	घरौन्डा	करनाल

रोशन लाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 18th July, 2012

No. 701/AS-(1)/2012/9017.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-section (i) read with Sub-section (2) of Section 6A of Punjab Agriculture Produce Markets Act, 1961 (Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby declares his intention to alter the limits of notified market areas of Gharaunda and Panipat specified in columns 1 and 2 respectively of the Schedule given below by excluding the area mentioned in column 3 of the said Schedule from the market area of Gharaunda specified in column 1 and including the same in the market area of Panipat specified in column 2 of the said Schedule.

Now, therefore, notice is hereby given for the information of the public in general and especially the persons likely to be affected, to invite objections and suggestions, if any, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. Such objections or suggestions as may be received by the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department, Chandigarh with respect to aforesaid proposal within the period so specified, shall be taken into consideration.

SCHEDULE

Market Committee Area from which Area is to be excluded	Market Committee in which Area is to be included	Area to be excluded from the notified market area of Gharaunda and to be included in the notified market area of Panipat.			
1	2	3			
		Name of Village	Hadbast No.	Tehsil	District
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Gharaunda	Panipat	Palheri	40	Gharaunda	Karnal

ROSHAN LAL,
Principal Secretary to Government
Haryana, Agriculture Department.